

धन्ना मु. नर्बदा पत्नी

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट्रेक बड़ीसादड़ी
श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 22/2014
वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट.
रामलाल पिता सवला मीणा नि. पायरोँ का खेड़ा तह0 बड़ीसादड़ी
- वादी

॥ बनाम ॥

- 1- मांगीलाल पिता सवला मीणा नि. पायरोँ का खेड़ा तह0 बड़ीसादड़ी
- 2- नाथू पिता धन्ना मीणा नि. पायरोँ का खेड़ा तह0 बड़ीसादड़ी
- 3- रामलाल उर्फ कैलाश पिता धन्ना मीणा नि. पायरोँ का खेड़ा तह0 बड़ीसादड़ी
- 4- नर्बदा बेवा धन्ना मीणा नि. पायरोँ का खेड़ा तह0 बड़ीसादड़ी
- 5- तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है।

मौजा पायरोँ का खेड़ा की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है -

1- रामलाल पिता सवला मीणा नि. पायरोँ का खेड़ा

आ.न.	रकबा	लगान
66/2	0.26	8.58
66 मी	0.12	3.96
67 मी	0.19	6.27
73/5	0.16	5.28
75/1	0.13	4.29
78/3	0.12	3.96
6	0.98	32.34

2- मांगीलाल पिता सवला मीणा नि. पायरोँ का खेड़ा

आ.न.	रकबा	लगान
66/1	0.26	8.58
66/6	0.14	4.62
67 /1	0.17	5.61
68	0.03	-
73/3	0.09	2.97
73/4	0.27	8.91
78/2	0.02	0.66
7	0.98	31.35

3- रामलाल मांगीलाल पिता सवला मीणा नि. पायरोँ का खेड़ा

आ.न.	रकबा	लगान
74	0.01	-
1	0.01	+

4- नाथू, रामलाल उर्फ कैलाश पिता धन्ना मु. नर्बदा पत्नी स्व. धन्ना मीणा नि. पायरोँ का खेड़ा

आ.न.	रकबा	लगान
66/3	0.53	17.49
66/5	0.62	20.46
73/1	0.25	8.25
73 मी	0.40	13.20
75 मी	0.13	4.29
78 मी	0.02	0.66
6	1.95	64.35

5- रामलाल मांगीलाल पिता सवला 1/2 नाथू, रामलाल उर्फ कैलाश पिता धन्ना मु. नर्बदा पत्नी
मीणा नि. पायरो का खेड़ा

आ.न.	रकबा	लगान
65	0.01	-
66/4	0.03	0.99
73/2	0.03	0.99
72	0.01	-
78/1	0.01	0.33
5	0.09	2.31

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।
निर्णय आज दिनांक 20.6.2018 को लोक अदालत में सुनाया गया।

मोहर



(Handwritten signature)

जितेन्द्र कुमार पाण्डे
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर बडीसादकी